By Akhilesh Kumar (G. T Assistant professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework unit-iii consumer protection Act, 1986 question answer

प्रश्न राष्ट्रीय आयोग के गठन, कार्यक्षेत्र एवं शिकायतों के निवारण की कार्यविधि का वर्णन कीजिये।

उत्तर-

राष्ट्रीय आयोग (National Commission)

केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना जारी करके 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' (National Consumer Disputes Redressal Commission) की स्थापना कर सकती है जिसे राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर दी है एवं इस आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थित है।' राष्ट्रीय आयोग हमारे देश में उपभोक्ता विवादों को हल करने के लिये

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था है। यह एक स्वतन्त्र वैधानिक संस्था है।

राष्ट्रीय आयोग का गठन– राष्ट्रीय आयोग का गठन निम्नानुसार किया जायेगा

(अ) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हो, वह व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष होगा। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ऐसी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के उपरान्त ही की जा सकती है।

(ब) कम से कम चार सदस्य होंगे परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इनमें एक आवश्यक रूप से महिला सदस्य होंगी। केवल निम्नलिखित योग्यतायें पूरी करने वाले व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं-

(i) आयु 35 वर्ष से कम न हो,

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि रखता हो,

(iii) योग्य, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों जिनको अर्थशास्त्र, कानूनी, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान और कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो।

यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आयोग के कुल सदस्यों में से न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या 50% से अधिक नहीं होगी। न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिनके पास जिला स्तर के न्यायालय या इसके समकक्ष किसी अधिकरण (Tribunal) में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने का कम-से-कम दस वर्ष की अवधि का ज्ञान और अनुभव हो।

अयोग्यतायें– निम्नांकित में से किसी भी अयोग्यता वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकेगा-

(i) यदि उसे किसी अपराध के लिये सजा मिली हो तथा जेल भेजा गया हो तथा वह अपराध केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक दुराचरण से सम्बन्धित हो।

(ii) यदि वह अमुक्त दिवालिया हो।

(iii) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो

(iv) यदि वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाली समामेलित संस्था की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो।

(v) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जो सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(vi) यदि उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य कोई अयोग्यताएँ हों।

सदस्यों की नियुक्ति– राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक , चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ऐसी चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा-

(i) अध्यक्ष– भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है।

(ii) सदस्य– भारत सरकार के विधि विभाग का प्रभारी सचिव।

(iii) सदस्य– भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्रभारी सचिव।

राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल– राष्ट्रीय आयोग के प्रत्येक सदस्य का - कार्यकाल पाँच वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक बना रहेगा। [धारा 20(3)]

परन्तु उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के लागू होने से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने तक अपने पदों पर बने रह सकेंगे।

पुनर्नियुक्ति–किसी भी सदस्य को पाँच वर्ष अथवा उसकी सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के लिये पुनः नियुक्त किया जा सकता है। किन्तु, उस सदस्य को योग्यताओं तथा नियुक्ति की अन्य शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश से की जायेगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की भी पुनर्नियुक्ति इसी प्रकार की जा सकेगी। [धारा 20(3)]

पद त्याग एवं रिक्त स्थान की पूर्ति– कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित में अपना त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र

स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा। उस रिक्त पद पर निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति की चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जा सकेगी।

वेतन अथवा मानदेय व सेवा शर्तें आदि -राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को देय वेतन अथवा मानदेय एवं अन्य भत्ते तथा सेवा शर्तें आदि वही होंगी जोंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। [धारा 20(2)]

राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the National Commission)

राष्ट्रीय का आयोग का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार होगा-

(i) उन शिकायतों पर विचार करना जिनमें माल या सेवा का मूल्य तथा क्षतिपूर्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक हो।

(ii) (ii) किसी राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई करना।

(iii) (iii) राज्य आयोग के अधीन कोई उपभोक्ता विवाद जो विचाराधीन हो जिसका निर्णय दे दिया गया हो और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग को यह लगता हो कि सम्बन्धित राज्य आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार का

उल्लंघन किया है या दिये गये क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में असमर्थ रहा है या अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में अवैधानिक या मौलिक अनियमितता की है तो सम्बन्धित अभिलेखों को मंगवाना तथा उपयुक्त आदेश निर्गमित करना। (धारा 21)

राष्ट्रीय आयोग की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया (Procedure of Disposal of Complaints by National Commission)

1. शिकायत प्रस्तुत करना– राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने सम्बन्धी नियम निम्नानुसार हैं-

(i) शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं या उसके एजेण्डा नागपत की जानी चाहिये।

(ii) शिकायत व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से प्रस्तुत की जा सकती है।

(iii) शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा विवरण होना चाहिये।

(iv) शिकायत में विरोधी पक्षकार का नाम, पता तथा विवरण होना चाहिये।

(v) शिकायत में शिकायत से सम्बन्धित तथ्य, शिकायत उत्पन्न होने का स्थान, समय, दिन आदि का उल्लेख हो।

(vi) शिकायत के साथ आरोपों को पुष्ट करने वाले प्रलेख हों।

(vii) शिकायत में शिकायत के लिये अपेक्षित राहत का दावा किया गया हो।

2. शिकायत निवारण की प्रक्रिया– राष्ट्रीय आयोग शिकायत निवारण हेतु वही प्रक्रिया अपनायेगा जो जिला मंच द्वारा अपनाई जाती है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसके अतिरिक्त वह प्रक्रिया भी अपनाई जायेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा नियत की जाये।

3. सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना– शिकायत की सुनवाई के दिन पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना होगा। यदि शिकायतकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो, राष्ट्रीय आयोग शिकायत को रद्द कर सकता है। , विरोधी पक्ष या उसके प्रतिनिधि के उपस्थित न होने पर एक्स-पार्टी (Ex-Parte) निर्णय किया जा सकेगा।

By Akhilesh Kumar (G. T Assistant professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

4. निर्णय का स्थगन तथा निर्णय की समय अवधि– आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय आयोग शिकायत की सुनवाई को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग सुनवाई की तिथि से , तीन महीने के अन्दर अपना निर्णय दे देगा। किन्तु यदि शिकायत की वस्तु के विश्लेषण या जाँच की आवश्यकता है तो वह पाँच महीने के अन्दर अपना निर्णय देगा।

5.आदेश देना– राष्ट्रीय आयोग, सुनवाई की कार्यवाही पूरी हो जाने पर एवं शिकायत में लगाये गये आरोपों से सन्तुष्ट होने पर सम्बन्धित माल में प्रयोगशाला द्वारा इंगित दोष को दूर करने के लिये, उस माल के स्थान पर उसी प्रकार का नया दोषमुक्त माल देने के लिये, कीमत वापिस करने अथवा मुआवजा भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

6. राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील (Appeal)- राष्ट्रीय आयोग के, आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।